कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
द्वितीय मंज़िल, निर्वाचन भवन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल

अपील–44 कमांक 28–1 / रासूआ / भोपाल / बीपीएल / 05

श्री बृजेन्द्र प्रसाद, अपीलकर्ता
ग्राम मनकहरी,पो.आ.परासी,
तह.मऊगंज,
जिला रीवा

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री, लोक सूचना अधिकारी,
नर्मदा विकास संभाग क्रं026(लो.नि.वि.),
नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण,
भोपाल

आदेश
(दिनांक 04 अप्रैल 2006)

श्री बृजेन्द्र प्रसाद ने यह अपील सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। अपीलकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रं0 26 (लो.नि.वि.) नर्मदाघटी विकास प्राधिकरण से निम्न जानकारी चाही थी–

1. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय अरेरा हिल्स में निर्मित भवन के एस्टीमेट (प्राक्कलन) की सत्यापित प्रति।
2. भवन निर्माण करने वाले ठेकेदार से किये गये अनुबंध की प्रति ।
3. भवन निर्माण की प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति।
4. भवन निर्माण से संबंधित किये गये समस्त भुगतान की माप पुस्तिका(एम.बी.) की सत्य प्रति।

2. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग ने अपीलकर्ता को 9428 / – रूपये का शुल्क जमा करने के लिये निर्देश दिये थे शुल्क जमा करने के निर्देश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील मुख्य अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत की थी । अपीलकर्ता के द्वारा अपील किये जाने पर मुख्य अभियंता ने अपीलकर्ता को सूचित किया था कि राज्य शासन ने मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के क्र 11–37–05–एक–9 दिनांक 10 / 10 / 2005 द्वारा म0प्र0 सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम, 2005 बनाया गया जिसके नियम 5(1) में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को निशुल्क जानकारी देने को विलोपित कर दिया है अतः शुल्क जमा करने के उपरांत ही जानकारी दी जा सकती है।

3. इस प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि क्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को जानकारी देने के लिये शुल्क लिया जा सकता है अथवा उन्हें शुल्क देने से विमुक्त रखा गया है। इस प्रकरण में मौखिक सुनवाई दिनांक 4 अप्रैल 2006 को की गई। अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं हुए उनकी ओर से श्री बी.एस.शर्मा उपस्थित हुये। उन्होंने अपीलकर्ता की ओर से पावर ऑफ एटार्नी प्रस्तुत की और अपीलकर्ता की ओर से पैरवी करने की अनुमति मांगी। अपीलकर्ता ने अपनी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में कोई कारण नहीं दर्शाया है उनकी ओर से श्री बी0एस0शर्मा को पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर पैरवी करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई ।

सूचना के अधिकार अधिनियम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि किसी नागरिक की ओर से कोई दूसरा नागरिक अधिकार के संबंध में लोक सूचना अधिकारी,अपीलकर्ता अधिकारी या राज्य सूचना आयोग के समक्ष पैरवी कर सके । इस अधिनियम के अंतर्गत जो अधिकार दिये गये हैं वह नागरिक को ही

..2..

है और यदि उन्होने कोई जानकारी किसी कार्यालय से चाही है तो उन्हें स्वयं ही उस कार्यालय से संपर्क करना चाहिए यह उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम में सूचना प्राप्त करने का अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया है। सूचना प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि जानकारी प्राप्त वाले नागरिक का सूचना से सीधा संबंध हो। प्रत्येक नागरिक किसी भी विषय पर सूचना प्राप्त कर सकता है यदि वह ऐसी श्रेणी में नहीं आती जिसकी सूचना देना अनिवार्य न हो। इसलिये सूचना प्राप्त करने के अभिलाषी नागरिक का और लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं राज्य सूचना आयोग का सीधा सम्पर्क होना चाहिये। इसमें किसी मध्यस्थ की आवश्यक्ता नहीं है। इस अधिनियम में किसी भी नागरिक की सम्पत्ति के अधिकारों का या स्वत्व का निर्धारण होता है और न ही किसी प्रकरण में दिये गये आदेशों से किसी नागरिक के अधिकार हमेशा के लिये समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकरण में जो विषय उठाया गया है वह कानूनी है। श्री शर्मा अभिभाषक नहीं हैं इसलिये उन्हें आयोग में अपीलकर्ता की ओर से पैरवी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति को माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए अधिनियम की धारा 6(1) के परन्तुक में आवेदक को सहायता देने की व्यवस्था की गयी है इसके अनुसार लोक सूचना अधिकारी, जो भी व्यक्ति जानकारी के लिये आये, उसे समुचित सहायता प्रदान करेगें।

4. यह प्रकरण सूचना के अधिकार के अंतर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक से सूचना के संबंध में शुल्क लिये जाने से संबंधित है। लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने राज्य शासन के दिनांक 28 अक्टूबर 2005 के आदेश जो मध्यप्रदेश राज्य पत्र में दिनांक 10.10.05 को प्रकाशित हुई थी के आधार पर अपीलकर्ता को शुल्क देने का आदेश दिया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 7(5) अनुसार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों से शुल्क नहीं लेने का प्रावधान किया गया है । अधिनियम में जो प्रावधान होता है उन्हें कोई भी राज्य शासन या केन्द्र शासन नियम के या निर्देशों से नहीं बदल सकता है उसके लिये अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक है, इस प्रकार का कोई संशोधन अधिनियम में नहीं किया गया है। राज्य शासन ने भी इस सम्बन्ध में क्रमांक एफ 11–37/2005/एम/9 दिनांक 6 फरवरी 2006 के परिशिष्ट एक में स्पष्टीकरण दिया है कि गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों से सूचना प्रदान करने के सम्बंध में कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा । अतः अपीलकर्ता को जो जानकारी उनके द्वारा मांगी गई है वह इस बात का समाधान करने के बाद कि वह गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला नागरिक है बिना शुल्क के दी जाना चाहिए।

5. उपरोक्त निर्देशों के आधार पर इस अपील का निराकरण किया जाना है।

(टी.एन.श्रीवास्तव)